IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साहित्य व नारी अधिकार

डॉ. सोमेश कुमार सिंह
व्याख्याता – इतिहास
राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर

शोध सांराश :– प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रन्थों मे नारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्राचीन ग्रन्थकार नारी को वे सभी महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते है जो उसे सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनाते है। ये ग्रन्थकार नारी को संपत्ती, शिक्षा में पुरूष के बराबर अधिकार प्रदान करते है। साथ ही नारी प्रताड़ना के विरूद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान भी करते हैं।

सांकेतिक शब्द : वेद, नारी, अधिकार, स्त्रीधन, पुत्री, प्रताड़ना।

किसी भी राष्ट्र में नारी की स्थिति उस राष्ट्र की समाज परंपरा का प्रतिबिंब होती है। समाज को समझने के लिए नारी का उस समाज में स्थान, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य तथा उसके साथ समाज में उसके साथ विभिन्न वर्गों के व्यवहार को जानना आवश्यक है। प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य की ओर लौटना आवश्यक है। प्राचीन भारत के ग्रंथ वेद नारी के बारे में अत्यंत उदार रवैया रखते हैं। वैदिक युग महिलाओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग की नारी ने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जिया। प्राचीन भारत में स्त्रियों में न तो पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह और न सती प्रथा जैसी कुरीतियां। विवाह में उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी। वेदों के बाद सर्वाधिक चर्चित पुस्तक मनुस्मृति मानी जाती है । जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है की मनुस्मृति ने वैदिक नारी के मूल अधिकारों को संकुचित किया। यह कहा जाने लगा कि मनु स्त्री को वह अधिकार नहीं देना चाहते जो उसे वैदिक युग में प्राप्त थें। परंतु मनुस्मृति स्त्री के प्रति अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार करने का आदेश देती है। मनु मानते हैं कि जिस घर परिवार में स्त्री सम्मानित होती है वहां दिव्य गुणों का निवास होता है सुख समृद्धि वहां स्थाई रूप से बनी रहती है।[1] वे चेतावनी देते हैं कि जहां ऐसा नहीं है जहां नारी से अपमानित होती है ऐसे व्यक्ति के सभी काम में सफल हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से मनुस्मृति की ये पंक्तियां मनु के नारी जाति के प्रति श्रद्धा को दृ ष्टिगत करती हैं। वे किसी भी स्थिति में नारी का अपमान या प्रताड़ना स्वीकार नहीं करते, ना हीं इसकी अनुमति देते है। नारी को स्वावलंबी बनाने हेतु उसको पुरुषों पर निर्भर नहीं देखना चाहते हैं मनु ने विभिन्न क्षेत्रों में नारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं इसके साथ ही अन्य भारतीय चिंतक भी मनु की तरह की जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारी को सम्मानजनक अधिकार प्राप्त करते है।

नारी के संपत्ति संबंधी अधिकार

हिंदू संस्कृति में पत्नी को घर की संपत्ति पर पति के बराबर अधिकार था। वह संपत्ति को संयुक्त स्वामी होती थी। विवाह के समय पति को यह प्रार्थना करनी पड़ती थी कि वह पत्नी को कभी उसके आर्थिक अधिकारों से वंचित नहीं करेगा।[2] मनु संपत्ति पर नारी के अधिकारों के बारे में खुलकर लिखते हैं। वे स्त्री धन शब्द को प्रयोग करते हुए स्त्रीधन को परिभाषित भी करते हैं। उनके अनुसार स्त्री धन वह धन है जो विवाहित अग्नि के सम्मुख कन्या को स्नेहवश दिया जाता है, जो कन्या को पति गृह रह जाते समय पितृपक्ष द्वारा दिया जाता है, जो धन माता पिता या भाई बहन द्वारा दिया जाता है।[3] विज्ञानेस्वर ने स्त्री धन को 6 भागों में विभाजित किया है। ये 6 भाग है, माता, पिता, भाई और पति द्वारा दिया गया अग्नि भी सन्निधि, में विवाह के समय कन्यादान के साथ प्राप्त तथा अधिवेदन के निमित्त मिला धन।[4] विवाह के पश्चात भी उसको जोधन सास–ससुर के माध्यम से प्राप्त होता था उस पर भी उस का पूर्ण अधिकार तथा अपरार्क संपत्ति विभाजन के समय भी स्त्री के अधिकारों को ध्यान में रखते हैं संपत्ति विभाजन के समय पत्नी या माता का पुत्र के समान अंश भाइयों के अंश के चतुर्थांश आदि को अपरार्क स्त्री धन के रूप में स्वीकार करते हैं।[5] मनु कहते हैं कि पुत्र पिता की आत्मा है पुत्री भी उसी की दुहिता है उसके रहते दूसरा (मृतक पिता) संपत्ति नहीं ले सकता।6 मनु पुत्री को भी मृतक पिता की संपत्ति का अधिकारी मानते हैं दूसरों को नहीं। दूसरे अर्थों में यह कहा जा सकता है कि मनु यह स्वीकार करते हैं कि संपत्ति विभाजन में पुत्री का उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्र का। मनु पति के मरने के बाद नारी को स्त्री धन से वंचित न करने आदेश देते हैं।[7] मनु अकेली असहाय और निर्बल स्त्री या कन्या की संपत्ति की रक्षा की भी राज्य से अपेक्षा करते हैं। कभी–कभी कमजोर स्त्रियों की संपत्ति को उनके निजी लोग या रिश्तेदार हड़प लेते थे ऐसी ऐसी स्थिति में मनु आदेश देते हैं कि बन्धया पुत्र या कुल(सपिंड) से हीन पतिवृता विधवा और रोगिणी स्त्रियों की संपत्ति की रक्षा भी राजा को करनी चाहिए।[8] मनु जानते थें कि स्त्रियों की कमजोरी का फायदा कुछ लालची पुरुष उठा सकते हैं अतः वे कहते हैं कि उन जीवित स्त्रियों का धन जो उसी के भाई बंधु उसकी रक्षा करने के बहाने से रख लेते हैं उन्हें राजा द्वारा चोर के समान दंडित किया जाना चाहिए।[9] मनु जानते हैं कि जीवित अवस्था में भी अबला स्त्री की संपत्ति को उसी के निकटतम संबंधी लेने की कोशिश करते हैं। मनु धर्मात्मा राजा से अपेक्षा करते हैं कि वह ऐसे पुरुषों को चोर माने। प्राचीन भारतीय शास्त्र स्त्रियों पर अत्याचार के सख्त विरोधी हैं वैदिक युग से लेकर आगे तक स्त्रियों की स्थिति संतोषप्रद थी उन्हें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार सुरक्षा प्राप्त थे। ऋग्वेद में पति–पत्नी को एक ही तत्व के दो भाग मानकर उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में समान माना है। तत्कालीन विश्व के किसी भी साहित्य में स्त्रियों को पुरुषों के समान इतने अधिकार नहीं दिए।[10] इसी तरह मनु स्त्रियों की रक्षा के प्रति भी सजग है। वे समाज से आशा करते हैं कि वह अपनी स्त्रियों की रक्षा करें। वे कहते हैं कि स्त्री की सुरक्षा करने पर संतान सुरक्षित रहती है तथा संतान सुरक्षित होने पर आत्मा सुरक्षित रहती है।[11] मनु का विचार है कि स्त्री की रक्षा कर्म करता हुआ मनुष्य अपनी संतान आचरण कुल आत्मा और धर्म इनकी रक्षा करता है।[12]

स्त्री प्रताड़ना पर कठोर दंड

प्राचीन भारत में किसी को भी नारी को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं था ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। स्त्री बच्चों, ब्राह्मणों को प्रताडित करने वाले मृत्युदंड दिए

जाने का प्रावधान था।[13] प्राचीन मनीषी माता–पिता और पुत्रों को त्यागने का अधिकार कदापि नहीं देते अगर कोई ऐसा करता था उस पर 30 पण का जुर्माना लगाया जाता था। इसी तरह स्त्री पर दोषारोपण करते हुए त्यागना भी उचित नहीं माना जाता था, शास्त्र कहते थे कि माता–पिता, स्त्री, भाई, गुरु इत्यादि पर दोष लगाकर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 100 पण का जुर्माना लगाया जाता था।[15] बलात्कारी मनुष्य को नाक कान अथवा अन्य कठोर दंड का प्रावधान था ताकि व्यक्ति भूल से भी नारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ न कर सके।

नारी व शिक्षा

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीय नारी ज्ञान, बुद्धि तथा शिक्षा में परिपूर्ण थी। पुत्र के समान ही पुत्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। कन्या को पुत्र के समान ही शिक्षित किया जाता था। पुत्र के समान ही उसे भी उपनयन संस्कार से भी गुजरना होता था। उसे यज्ञ के संपादन व विद्याधन का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद की अनेकों ऋचाओं की रचियता स्त्रियां ही थी। घोषा, उर्वशी विश्ववारा लोपामुद्रा जैसी अनेकों स्त्रियां ऋचाओं की रचयिता थी। स्त्रियों की यह स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही तैतरीय व मत्रायणी संहिता से ज्ञात होता है कि स्त्रियां संगीत में रुचि लेती थी। संगीत नृत्य और अन्य ललित कलाओं की उन्हें शिक्षा दी जाती थी।[16] महाभारत से ज्ञात होता है कि कुंती को उसके पिता ने भली भांति शिक्षित किया था। वे अथर्ववेद में पारंगत थी।[17] वैदिक युग में गुरुकुल में छात्राओं के 2 वर्ग थे सद्योवधु, ब्रह्मवादिनी। सद्योवधु वे छात्राएं होती थी जो विवाह के पूर्व तक धर्मशास्त्र परंपराओं का अध्ययन कर लेती थी। अध्ययन के पश्चात वे विवाह करके गृहस्थ जीवन का पालन करती थी किंतु ब्रह्मवादिनी शिक्षित नारी का वह वर्ग था जो विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्ययनरत रहती थी। हमें वेदवती नामक ब्रह्मवादिनी नारी का उल्लेख मिलता है जो ऋषि कुशध्वज की बेटी थी।[18] ये नारियां अत्यंत विद्वान होती थी तथा गुढ़ व किलस्ट के विषयों पर इनका अध्ययन होता था।

हमें बौद्ध युग में भी स्त्री शिक्षा के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। थेरी गाथा की कवित्रीयों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी व अट्ठारह विवाहित भिक्षुणियां थी। उनमें शुभा सुमेधा और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएं थी।[19] जैन साहित्य में भी अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में पर्याप्त नारी शिक्षा थी। जातक से ज्ञात होता है कि एक जैन परिवार की कन्याओं ने पूरे देश का भ्रमण किया था तथा विद्धजनों को दर्शनशास्त्र में शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी थी। हमें अनेकों महिला शिक्षिकाओं के उदाहरण नजर आते हैं। यह अत्यंत निष्ठा से पुरुषों की भांति शिक्षण कार्य करवाती थी। ऐसी स्त्रियों को उपाध्याय कहा जाता था।[20] पाणिनि ने भी महिला शिक्षा शाला का उल्लेख किया है।[21] पुराणों से ज्ञात होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप होते थे। प्रथम आध्यात्मिक रूप द्वितीय व्यवहारिक रूप यह वे नारी होती थी जो योग तप ब्रह्मचर्य सदाचरण शील की प्रतिमूर्ति होती थी।इनका ज्ञान अद्वितीय होता था।दूसरी स्त्रियां गृहस्थी स्त्रियां थी जो व्यवहारिक होती थी परंतु वह भी संगीत नृत्य ज्ञान शिल्प में परिपूर्ण होती थी और इसमें पारंगत होती थी ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी को वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो कि उसे मिलने चाहिए थे। वह प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष थी। शिक्षा संपत्ति बंटवारे व अन्य क्षेत्रों में उसको वही अधिकार थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। परंतु बहुत से इतिहासकारों ने कतिपय उदाहरण के माध्यम से नारी की स्थिति का जो एक पक्षीय वर्णन किया है वह सही नहीं माना जा सकता। शास्त्रों में जहां भी नारी के ऊपर कतिपय प्रतिबंध लगाये हैं वे विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति की उपज हो सकती है भारतीय समाज स्त्री का पर्याप्त सम्मान करता था। उसके गौरवपूर्ण स्थान को स्वीकार करता था ।तथा उसे पुरुषों के समकक्ष मानता था।

संदर्भ ग्रन्थ

1. मनुस्मृति 3.56, 3.46
2. शिव कुमार गुप्त, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 1999, पृष्ठ 78
3. मनुस्मृति 9.194
4. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1992, पृष्ठ 425
5. वही पृष्ठ 425
6. मनुस्मृति, 9.130
7. जयशंकर मिश्र प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृष्ठ वहीं पृष्ठ 426
8. मनुस्मृति 8.28 अनु. हरिगोविन्दशास्त्री, पृष्ठ 364
9. मनुस्मृति 8.23 अनु. वही. पृष्ठ 365
10. सं. शिव कुमार गुप्त, वहीं पृष्ठ 79
11. मनुस्मृति 9.1
12. मनुस्मृति 9.7
13. मनुस्मृति 9.232
14. मनुस्मृति 8.389
15. मनुस्मृति 8.275
16. सं. शिव कुमार गुप्त, वही पृष्ठ 70
17. जय शंकर मिश्र, वही, पृष्ठ 417
18. रामायण 7.17
19. जय शंकर मिश्र पृष्ठ 418
20. वही पृष्ठ 416
21. पाणिनि, 6.2.46, जय शंकर मिश्र, पृष्ठ 418